भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 39

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

संगठित और असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

39. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करके एक सूची बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई पेंशन/मानदेय देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने असंगठित कामगारों से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और 402.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उन्हें विशिष्ट पहचान अर्थात असंगठित कामगार पहचान संख्या (यूविन) प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। असंगठित कामगारों के पंजीकरण का कार्य राज्य के संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा। संगठित क्षेत्र में नियोजित कामगार पहले से ही अधिवर्षिता के उपरांत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अधिकांशत: गृह आधारित कामगारों, फेरी लगाने वालों, सिर पर बोझा उठाने वालों, ईंट-भट्टा कामगारों, मोचियों, कूड़ा बीनने वालों, घरेलू कामगारों, धोबियों, रिक्शा चालकों, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों, ऑन अकाउंट कामगारों, कृषि कामगारों, सन्निर्माण कामगारों, बीड़ी कामगारों, हथकरघा कामगारों, चमड़ा कामगारों इत्यादि के रूप में नियोजित हैं, और उनकी मासिक आय 15,000/- रुपये से कम है, उनके लिए यह मंत्रालय मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी जिसमें 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु के साथ 60 वर्ष की आयु होने पर उनके लिए 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान होगा। केन्द्र सरकार मासिक अंशदान का 50% देगी और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। 3000/- रू. की न्यूनतम मासिक पेंशन हेतु लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु से 100/- रू. प्रति माह का अंशदान करना अपेक्षित है।

****